प्रथम आवंटन
आयोजनेत्तर–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001010400

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
आगरा, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, मुरादाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, कानपुर नगर, फैजाबाद, चित्रकूट, सहारनपुर तथा गोण्डा।

संख्या– 1/शा0/ 5 /2012–1/11/2012 : लखनऊः दिनांक 25 अप्रैल, 2012

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम चार माहों (अप्रैल, 2012 से जुलाई, 2012 तक) मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–101–पंचायतीराज–04–मंडल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक उप सचिव पंचायतीराज उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–660/33–3–2012–100 (17)/2011, दिनांक 10 अप्रैल, 2012 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम चार माहों (अप्रैल, 2012 से जुलाई, 2012 तक) मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार **₹ 5899260/– (₹ अठ्ठावन लाख निन्नानवे हजार दो सौ साठ मात्र)** की धनराशि आवंटित की जाती है:–

यह धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– यह ध्यान रहे कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी भी प्रकार के व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है। आहरण के पूर्व अन्य संगत नियमों/निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

2– आवंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्ति करने के उपरान्त ही किया जाये। कृपया सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/4 भाग ही हो यदि किसी माह में 1/4 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व निदेशालय की अनुमति प्राप्त किया जाय। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एंव अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। किसी प्रकार के अधिक व्यय के लिये अथवा अनाधिकृत व्यय के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। बजट की किसी भी ऐसी प्राथमिक इकाईयां लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाये जिसके लिये बजट में प्राविधान नहीं है।

3– नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

4– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की अगली 05 तरीख तक बी0एम0–4 पर बने अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

5– यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगा।

6– आहरण वितरण अधिकारी को बजट अगली बार तभी आवंटित किया जायेगा जब उपर्युक्तानुसार बी0एम0–4 पर सूचना तथा अतिरिक्त बजट का औचित्य प्राप्त हो जाये।

7– यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

8– एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

9— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उपमुख्य, लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये। ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनेत्तर शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी।

10— वर्तमान स्थिति में शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, विशेष रूप से यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, पेट्रोल तथा टेलीफोन पर व्यय में मितव्ययता अव य बरती जाये। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या सी0ए0—934/दस—2008—मित—1/2007 दिनांक 2—9—2008 और भविश्य में जो जारी किये जायें, शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाये ताकि अपव्यय रोका जा सके।

11— व्यय के संबंध में वित्त (आय—व्ययक), अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—बी—1 —901/दस—2011—231/11, दिनांक 21 मार्च, 2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12— उपयुर्क्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या—14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—आयोजनेत्तर—101—पंचायतीराज—04— मंडल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदो के नामे डाला जायेगा।

13— संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

1— कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0—4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक।

2— प्रारम्भिक व्यमाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 30—7—2012

3— व्याधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15—1—2013 तक।

4— वर्ष 2012—13 में समर्पण यदि कोई हो की सूचना 15 फरवरी, 2013 तक।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—77 पर अंकित है।

संलग्नक—उक्तानुसार।

भवदीय,

मुरलीधर दुबे
निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/शा0/ 5 /1/2012 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2—प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2 उ0प्र0 शासन।
3—महालेखाकार सी0पी0 सी0—2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
4—महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
5—वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6—सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7—सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, (पं0), उत्तर प्रदेश।
8—तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Mandal 04 DDP First allotmentLetter

Print Report

Allotment Order Report

वित्तीय वर्ष- 2012-2013
आवंटन दिनांक- 17/04/2012
प्रेषण दिनांक- 25/04/2012

प्रेषण संख्या:- 3
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1-Shaa-05-2012-1-11-2012
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2012-2013 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर)
00 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
101 - पंचायती राज
04 - मण्डल पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	01-वेतन		03-मंहगाई भत्ता		06-अन्य भत्ते		योग	
		वर्तमान	प्रगामी	वर्तमान	प्रगामी	वर्तमान	प्रगामी	वर्तमान	प्रगामी
1	आगरा-01-जिला पंचायत राज अधिकारी , -	130878	130878	75909	75909	11779	11779	218566	218566
2	इलाहाबाद-01-जिला पंचायत राज अधिकारी , -	413080	413080	239586	239586	37177	37177	689843	689843
3	कानपुर नगर-01-जिला पंचायत राज अधिकारी , -	298523	298523	173143	173143	26867	26867	498533	498533
4	गोण्डा-01-जिला पंचायत राज अधिकारी , -	93719	93719	54357	54357	8434	8434	156510	156510
5	गोरखपुर-01-जिला पंचायत राज अधिकारी , -	216983	216983	125850	125850	19528	19528	362361	362361
6	झाँसी-01-जिला पंचायत राज अधिकारी , -	226995	226995	131657	131657	20429	20429	379081	379081
7	फैजाबाद-01-जिला पंचायत राज अधिकारी , -	249822	249822	144896	144896	22483	22483	417201	417201
8	बरेली-01-जिला पंचायत राज अधिकारी , -	528776	528776	306690	306690	47589	47589	883055	883055
9	बस्ती-01-जिला पंचायत राज अधिकारी , -	162818	162818	94434	94434	14653	14653	271905	271905
10	बांदा -01-जिला पंचायत राज अधिकारी , -	130320	130320	75585	75585	11728	11728	217633	217633
11	मेरठ-01-जिला पंचायत राज अधिकारी , -	202878	202878	117669	117669	18259	18259	338806	338806
12	मुरादाबाद-01-जिला पंचायत राज अधिकारी , -	119844	119844	69509	69509	10785	10785	200138	200138
13	लखनऊ कलेक्ट्रेट -01-जिला पंचायत राज अधिकारी , -	489237	489237	283757	283757	44031	44031	817025	817025
14	वाराणसी-01-जिला पंचायत राज अधिकारी , -	148562	148562	86165	86165	13370	13370	248097	248097
15	सहारनपुर-01-जिला पंचायत राज अधिकारी , -	120064	120064	69637	69637	10805	10805	200506	200506
	योग	3532499	3532499	2048844	2048844	317917	317917	5899260	5899260

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अट्ठावन लाख निन्यानवे हजार दो सौ साठ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अट्ठावन लाख निन्यानवे हजार दो सौ साठ

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
रमेश चन्द्र राय